# प्रथम सूचना रिपोर्ट
## ( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, डूंगरपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 35/23 दिनांक 11/2/2023

2. (1) 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 201 समय 8:15 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 10.02.2023 समय 09.55 ए.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.02.2023 समय 03.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 550 किलोमीटर
(2) पता – पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर।
........................... बीट संख्या ........................... जरायमदेही संख्या ......
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .................... जिला ......................

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

**परिवादी**

(1) नाम : श्री थावरचंद
(2) पिता का नाम : श्री सोमाजी कोटेड
(3) आयु : 35 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ....... जारी होने की तिथि ......... जारी होने की जगह ................
(6) व्यवसाय : मजदूरी(प्राईवेट ड्राईवर)
(7) पताः निवासी बडका फला, पाल देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
श्री ईश्वर लाल खराडी पिता श्री तेजाजी जाति मीणा, उम्र 49 वर्ष, निवासी सारोली, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर पुलिस थाना बावलवाडा हाल हैड कानि. 478, पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे )

| कम. सं. | सम्पत्ति का प्रकार | अनुमानित मूल्य | वस्तु स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय चलन मुद्रा | 6,000 रूपये | – |

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 6,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदयजी,

वाकियात मामला हाजा इस संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.02.2023 को परिवादी श्री थावर चंद पिता श्री सोमाजी कोटेड जाति मीणा उम्र 35 निवासी बडका फला, पाल देवल, तह. व जिला जिला डूंगरपुर एवं सह परिवादी श्री गटू पिता श्री थानाजी कोटेड जाति मीणा उम्र 55 निवासी बडका फला, पाल देवल, तह. व जिला जिला डूंगरपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को एक टाईपशुदा रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की पेश की कि " मैं मूलतः बडका फला पाल देवल, तह. व जिला डूंगरपुर का निवासी हूँ। श्री विशाल पिता रविशंकर, करण पिता रविशंकर, विष्णु पिता मुकेश, हार्दिक पिता राजू एवं लोकेश पिता कमलेश मेरे भतीजे हैं। जिनका दिनांक 21.01.2023 को देवल बस स्टेण्ड पर डामोर फला देवल के लडके मुकेश पिता कुरीचंद डामोर एवं राजेश पिता कान्ति डामोर से रात को आपस में विवाद हो हाथापाई हो गई। जिसमें राजेश पिता कान्ति डामोर के सिर पर कडे की खरोच आ गई। जिसकी सूचना राजेश पिता कान्ति डामोर ने देवल चौकी पर दी। जिस पर पुलिस थाना सदर पर मुकदमा नं. 17/2023 दर्ज हुआ। दिनांक 22.01.2023 को मेरे बडे भाई श्री रविशंकर चौकी देवल पर गये तो श्री ईश्वर लाल जी हैड साहब द्वारा कार्यवाही हल्की करने एवं जल्दी जमानत करा देने के नाम से 25,000 रूपये मांगे तो मेरे भाई द्वारा हाथाजोडी करने पर 21,000 रूपये लेने पर राजी हुए जिस पर मेरे भाई द्वारा 11,000 रूपये उसी दिन श्री ईश्वर लाल जी हैड साहब को दे दिये। उसके बाद हैड साहब ने श्री विशाल पिता रविशंकर, करण पिता रविशंकर, विष्णु पिता मुकेश, हार्दिक पिता राजू एवं लोकेश पिता कमलेश को गिरफ्तार किये। दिनांक 04.02.2023 को बच्चों की पेशी होने से मैं और मेरे चचेरे भाई श्री गटू पिता थानाजी कोटेड भी उनके साथ डूंगरपुर कोर्ट में गये थे तो श्री ईश्वर लाल जी हैड साहब मुझे व मेरे चचेरे भाई श्री गटू से मिले जिनसे मैंने मोबाईल एवं सोने की कान की बूटी के बारे में पूछा तो उन्होने मुझे बताया कि मोटर साईकिल भी जप्त करनी हैं एवं एक-दो लडको को ओर मुल्जिम बनाने हैं। तुम्हारी फीस में 10,000 रूपये बाकी हैं, जो लेकर आओं। हैड साहब मेरे से 10,000 रूपये दो मोटर साईकिले जप्त नहीं करने, अन्य लडकों को मुल्जिम नहीं बनाने, केस हल्का करने एवं जप्तशुदा मोबाईल एवं सोने की कान की बूटी को देने की एवज में 10,000 रूपये मांग रहे हैं। हैड साहब लेनदेन की बात गटू भाई से ही करते हैं। मैं उनको रिश्वत् देना नहीं चाहता हूँ। रिश्वत् लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ"। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो परिवादी ने बताया कि मेरे भतिजे श्री विशाल पिता रविशंकर, करण पिता रविशंकर, विष्णु पिता मुकेश, हार्दिक पिता राजू एवं लोकेश पिता कमलेश के विरूद्ध मारपीट के मामले में पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर श्री ईश्वर लाल हैड कानि. पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर द्वारा मेरे भतिजों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अब श्री ईश्वरलाल हैड कानि. द्वारा दो मोटर साईकिले जप्त नहीं करने, अन्य लडकों को मुल्जिम नहीं बनाने, केस हल्का करने एवं जप्तशुदा मोबाईल एवं सोने की कान की बूटी को देने की एवज में 10,000 रूपये मांग रहे हैं। मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत् राशि लेन-देन का पाया जाने से ब्यूरो कार्यालय में पदस्थापित कानि. श्री बाबूलाल को बुलाकर कार्यालय हाजा के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर परिवादी श्री थावरचंद व सह परिवादी श्री गटू को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गयी। तत्पश्चात कानि. श्री बाबूलाल एवं परिवादी व सहपरिवादी का आपस में परिचय कराया गया। परिवादी से पूछा कि हैड कानि. श्री ईश्वर लाल चौकी पर कब मिलते हैं, तो उसने बताया कि हैड साहब दिन में तो चौकी पर कम मिलते हैं। शाम को अक्सर मिल जाते हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादी को हिदायत दी कि जब भी हैड साहब चौकी पर उपस्थित मिले तब मुझे या श्री बाबूलाल कानि. को जरिये दूरभाष सूचित करे एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किये गये। दिनांकः 07-02-2023 करीब समयः 05.40 पीएम पर कानि. श्री बाबूलाल ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री थावरचंद द्वारा मेरे मोबाईल पर कॉल कर बताया कि हैड साहब श्री ईश्वर लाल पुलिस चौकी देवल पर मौजुद हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबूलाल को पुलिस चौकी देवल के आस-पास पहुंच परिवादी व सहपरिवादी से मिल परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर मांग सत्यापन कराने की हिदायत दी एवं मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर निकलवाकर मय टेप रिकार्डर के अपनी निजी मोटर साईकिल से मांग सत्यापन हेतु पुलिस चौकी देवल के लिए रवाना किया। समय करीब 7.41 पीएम पर कानि. श्री बाबुलाल ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं श्रीमान् के आदेशानुसार कार्यालय से रवाना हो पुलिस चौकी देवल के आस-पास पहुंच परिवादी श्री थावरचंद से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर दोनों परिवादियों से मिला। उसके बाद मैने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी एवं सहपरिवादी को पुलिस चौकी देवल के लिए रवाना किये। मैं पुलिस चौकी के बाहर ही

अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी एवं सहपरिवादी के आने की इन्तजार में रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी एवं सहपरिवादी पुलिस चौकी देवल से बाहर आकर मेरे से मिले और टेप रिकार्डर मुझे दिया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी एवं सहपरिवादी ने बताया कि हम पुलिस चौकी देवल पहुंचे तो हैड साहब श्री ईश्वर लाल मौजुद मिले जिनसे हमारी रिश्वत् मांग के संबंध में वार्ता हुई जिसे मैने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. के पास ही खडे परिवादी एवं सहपरिवादी से बात की तो उन्होने कानि. के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि हम हैड साहब श्री ईश्वर लाल जी से मिले। हैड साहब ने पहले 21,000 रूपये में बात तय होने व 11,000 रूपये प्राप्त कर लेने की बात कहते हुए बाकी 10,000 रूपये की राशि के संबंध में हमारी बाते हुई। हमारे द्वारा काफी निवेदन करने पर हैड साहब बाकी के 10000 रूपये में रियायत करते हुए पहले 8000 रूपये व अन्त में 6000 रूपये लेने हेतु राजी हुए हैं। दो की बजाय एक मोटरसाईकिल पेश करने के लिए कहते हुए दिनांक 10.02.2023 को चौकी पर बुलाया हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रात्रि का समय होने से परिवादी व सहपरिवादी को दिनांक 08.07.2023 को समय 10.00 एएम पर ब्यूरो चौकी डूंगरपुर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाकर गोपनियता बरतने की हिदायत देकर रवाना किये तथा कानि. श्री बाबूलाल को कार्यालय पर उपस्थित हो डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 08–02–2023 समय करीब 11.50 पीएम पर पूर्व में पाबन्दशुदा परिवादी श्री थावरचंद एवं सहपरिवादी श्री गटू कार्यालय में उपस्थित हुए और मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि हम पुलिस चौकी देवल पहुंचे तो हैड साहब श्री ईश्वर लाल मौजुद मिले जिनसे हमारी रिश्वत् मांग के संबंध में वार्ता हुई जिसे मैने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली हैं। हैड साहब ने पहले 21,000 रूपये में बात तय होने व 11,000 रूपये प्राप्त कर लेने की बात कहते हुए बाकी 10,000 रूपये की राशि के संबंध में हमारी बाते हुई। हमारे द्वारा काफी निवेदन करने पर हैड साहब बाकी के 10000 रूपये में रियायत करते हुए पहले 8000 रूपये व अन्त में 6000 रूपये लेने हेतु राजी हुए हैं। दो की बजाय एक मोटरसाईकिल पेश करने के लिए कहते हुए दिनांक 10.02.2023 को चौकी पर बुलाया हैं। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबूलाल से डिजिटल टेप रिकार्डर मालखाने से निकलवाया जाकर उपस्थितिन के समक्ष ही टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चला कर सुना गया तो रिश्वत् मांग की पुष्टि हुई हैं। चुंकि श्री ईश्वर लाल हैड कानि. द्वारा परिवादी व सह परिवादी को रिश्वत् राशि लेकर दिनांक 10.02.2023 को बुलाया हैं। इसलिए परिवादी एवं सहपरिवादी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 10.02.2023 को 8 एएम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर लेकर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देते हुए रूखसत किया गया एवं ब्यूरो कार्यालय के जाप्ते को भी दिनांक 10.02.2023 को प्रातः 8.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। आईन्दा स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर उनके समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब की जावेगी। डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 09–02–2023 समय करीब 03.00 पीएम पर उक्त कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से उप निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग, डूंगरपुर को दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 10.02.2023 को समय 8.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने हेतु पाबन्द कराने श्री महेन्द्र सिंह कानि. को तहरीर देकर रवाना किया। दिनांक 10–02–2023 समय करीब 08.00 एएम पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान डॉ. निलेश कोटेड पुत्र श्री सोमालाल कोटेड जाति मीणा उम्र 37 वर्ष निवासी गोकुलपुरा अम्बेडकर होस्टल के सामने डूंगरपुर हाल प्रधान चिकित्सा अधिकारी, श्रीनानाभाई खांट जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, डूंगरपुर एवं श्री बद्रीलाल जोहियाला पुत्र श्री रामकृष्ण जोहियाला जाति मीणा उम्र 44 वर्ष निवासी रोहनवाडा फला नयागांव, तहसील व जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ आयुर्वेद कम्पाउण्डर, श्रीनानाभाई खांट जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर का समस्त जाप्ता उपस्थित कार्यालय हुआ। समय करीब 08.10 एएम पर परिवादी श्री थावरचंद व सहपरिवादी श्री गटू मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए और परिवादी श्री थावरचंद ने बताया कि श्री ईश्वर लाल हैड कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6000 रूपये लेकर आया हूँ। जिस पर परिवादियों को कार्यालय कक्ष में पूर्व से बैठे दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ. निलेश कोटेड एवं श्री बद्रीलाल जोहियाला से आपस में परिचय कराया गया। परिवादियों के समक्ष ही डॉ. निलेश कोटेड एवं श्री बद्रीलाल जोहियाला को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने हेतु सहमति चाही गयी तो दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। इसके उपरांत परिवादियों द्वारा दिनांक 06–02–2023 को पेश की गयी टाईपशुदा रिपोर्ट को दोनों परिवादियों, दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादियों द्वारा उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार करते हुए रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 08.25 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने कार्यालय की अलमारी में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 07–02–2023 को परिवादी

व सहपरिवादी एवं आरोपी के बीच हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाने से निकलवाया जाकर उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता में मुख्य अंश को परिवादी व सहपरिवादी एवं दोनो गवाहान को चलाकर सुनाई गई तो दोनों गवाहान ने भी आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के द्वारा परिवादियों से रिश्वत मांगने की पुष्टि की। समयाभाव के चलते उक्त वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अकब से मुर्तिब की गई। समय करीब 09.00 एएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री थावरचंद एवं सहपरिवादी श्री गटू से आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि., को दी जाने वाली रिश्वत् राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री थावरचंद ने अपने पास से 500–500 रूपये को 12 नोट कुल राशि 6,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादी श्री थावरचंद द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. 238 से कार्यालय के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर कार्यालय के टेबल पर दो अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों पर अलग–अलग दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री थावरचंद की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह डॉ. निलेश कोटेड से लिवाई गयी। आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के लिए परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. से ही परिवादी श्री थावरचंद की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री बाबु लाल कानि. से एक कॉच के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. से ही मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री बाबूलाल कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वत राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री थावरचंद को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वत् राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी व सहपरिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री हर्षवर्धन सिंह कानि को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 09.25 एएम पर परिवादी श्री थावरचंद व सहपरिवादी गटू को रिश्वती राशि लेनदेन हेतु उनकी निजी मोटर साईकिल से पुलिस चौकी देवल के लिए रवाना करते हुए उसके पीछे–पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान डॉ. निलेश कोटेड, श्री बद्रीलाल जोहियाला एवं ब्यूरो जाप्ता श्री नारायण लाल स.प्र.अ. एवं श्री महेन्द्र सिंह मय लेपटोप, प्रिन्टर मय आवश्यक संसाधन के मेरी निजी कार से एवं श्री अख्तर खॉ हैड कानि., श्री धीरेन्द्र सिंह कानि., श्री बाबूलाल कानि. एवं श्री वीर विक्रम सिंह कानि. अपनी–अपनी निजी मोटर साईकलों से रवाना हुए। समय करीब 09.45 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पुलिस चौकी देवल के पास पहुंच परिवादी एवं सहपरिवादी तथा अपने–अपने वाहनों को रोड के एक तरफ खडा करा। परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर

देकर वक्त लेनदेन वार्ता टेप रिकार्डर को चालू करने की हिदायत देकर मय सहपरिवादी के रिश्वत् राशि लेनदेन हेतु पुलिस चौकी देवल के लिए रवाना किये गये। परिवादी एवं सहपरिवादी के पीछे-पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक स्वतंत्र गवाहन, ब्यूरो जाप्ता पुलिस चौकी देवल के आस-पास पहुंच अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी एवं सहपरिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मुकीम रहें। समय करीब 10.05 एएम पर परिवादी द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त निर्धारित ईशारे से हमराहीयान को अवगत करा पुलिस चौकी देवल के परिसर में स्थित कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया जहां पर परिवादी व सहपरिवादी उपस्थित मिले। परिवादी श्री थावरचंद ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किया जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया। परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष ही कार्यालय में बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही श्री ईश्वर लाल हैड कानि. हैं। जिन्होने अभी-अभी मुझसे रिश्वत में ली जाने वाली राशि 6,000 रूपये लेकर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखे। जिसके बाद मुझे मौका मिलते ही मैने आपको पूर्व निर्धारित रिश्वत् राशि हैड साहब द्वारा स्वीकारोक्ती का ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर उस व्यक्ति को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री ईश्वर लाल खराडी पिता श्री तेजाजी जाति मीणा, उम्र 49 वर्ष, निवासी सारोली, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर पुलिस थाना बावलवाडा हाल हैड कानि. 478, पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही आरोपी श्री ईश्वर लाल खराडी हैड कानि. को परिवादी से रिश्वत में ली गयी राशि के बारे में पूछा तो आरोपी कुछ नहीं बोलते हुए मौन रहा। कुछ देर बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री ईश्वर लाल खराडी हैड कानि.को दुबारा परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने कहा कि गलती हो गई साहब मुझे माफ कर दो। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने स्वतः ही बताया कि श्री विशाल पिता रविशंकर, करण पिता रविशंकर, विष्णु पिता मुकेश, हार्दिक पिता राजू एवं लोकेश पिता कमलेश मेरे भतीजे हैं। जिनका दिनांक 21.01.2023 को देवल बस स्टेण्ड पर डामोर फला देवल के लडके मुकेश पिता कुरीचंद डामोर एवं राजेश पिता कान्ति डामोर से रात को आपस में विवाद हो हाथापाई हो गई। जिसमें राजेश पिता कान्ति डामोर के सिर पर कडे की खरोच आ गई। जिसकी सूचना राजेश पिता कान्ति डामोर ने देवल चौकी पर दी। जिस पर पुलिस थाना सदर पर मुकदमा नं. 17/2023 दर्ज हुआ। दिनांक 22.01.2023 को मेरे बडे भाई श्री रविशंकर चौकी देवल पर गये तो श्री ईश्वर लाल जी हैड साहब द्वारा कार्यवाही हल्की करने एवं जल्दी जमानत करा देने के नाम से 25,000 रूपये मांगे तो मेरे भाई द्वारा हाथाजोडी करने पर 21,000 रूपये लेने पर राजी हुए जिस पर मेरे भाई द्वारा 11,000 रूपये उसी दिन श्री ईश्वर लाल जी हैड साहब को दे दिये। उसके बाद हैड साहब ने श्री विशाल पिता रविशंकर, करण पिता रविशंकर, विष्णु पिता मुकेश, हार्दिक पिता राजू एवं लोकेश पिता कमलेश को गिरफ्तार किये। दिनांक 04.02.2023 को बच्चों की पेशी होने से मैं और मेरे चचेरे भाई श्री गटू पिता थानाजी कोटेड भी उनके साथ डूंगरपुर कोर्ट में गये थे तो श्री ईश्वर लाल जी हैड साहब मुझे व मेरे चचेरे भाई श्री गटू से मिले जिनसे मैंने मोबाईल एवं सोने की कान की बूटी के बारे में पूछा तो उन्होने मुझे बताया कि मोटर साईकिल भी जप्त करनी हैं एवं एक-दो लडको को ओर मुल्जिम बनाने हैं। तुम्हारी फीस में 10,000 रूपये बाकी हैं, जो लेकर आओं। हैड साहब मेरे से 10,000 रूपये दो मोटर साईकिले जप्त नहीं करने, अन्य लडकों को मुल्जिम नहीं बनाने, केस हल्का करने एवं जप्तशुदा मोबाईल एवं सोने की कान की बूटी को देने की एवज में 10,000 रूपये मांगे। मैं व मेरे भाई गटू द्वारा काफी निवेदन करने पर 6,000 रूपये लेने हेतु राजी हुए। अभी मैं और मेरे भाई गटू दोनों यहां आये और मैने इनको 6,000 रूपये दिये जो इन्होने अपने हाथों से ग्रहण किये और गिनकर पहनी हुई पेन्ट के पिछे के दाहिनी जेब में रखे। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह डॉ. निलेश कोटेड से आरोपी श्री ईश्वर लाल जी हैड कानि. की तलाशी लिवाई गई तो उसके पहनी हुई पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट मिले। जिन्हें स्वतंत्र गवाह डॉ. निलेश कोटेड से ही गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये मिले। जिन नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू हुआ। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटों पर सफेद कागज मे सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त प्रकियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए मेरी निजी कार में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच की गिलासों को निकलवाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट

पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनों गवाहान, परिवादी, सह परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। उक्त घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल. एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के पहने हुए पेंट के पिछे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की अन्य पेंट मंगवाकर पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाकर आरोपी को दूसरी पेंट पहनायी गयी। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. की पेंट (जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई) की पिछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गहरा गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेंट की पिछे की दाहिनी जेब को सुखवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी से परिवादी के भतिजों के विरूद्व पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 17/2023 से संबंधित रिकार्ड की पत्रावली चाही गई तो आरोपी द्वारा अपनी टेबल पर पडी पत्रावली पेश की जिसका अवलोकन किया गया। आरोपी से पूछा की चौकी का अन्य जाप्ता कहॉ है जिस पर आरोपी ने बताया कि अन्य जाप्ता ड्यूटी में गया हुआ हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री मदन लाल खटीक थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर को जरिये दूरभाष पर एक अन्य जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को पुलिस चौकी देवल पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर भिजवाने के निर्देश दिये। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी व सह परिवादी के निशादेही से घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 12.00 पीएम पर पूर्व में पाबन्दशुदा श्री गजराज सिंह हैड कानि. नं. 124 पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर से मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। जिसे पुलिस चौकी देवल यथास्थिति सम्भलाई गई तथा प्रकरण संख्या 17/2023 की प्रमाणित प्रतियॉ कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर में पेश करने हेतु पाबंद किया गया। समय करीब 12.10 पीएम पर पुलिस चौकी देवल ग्रामीण क्षेत्र में होने से विद्युत सप्लाई बाधित होने की सम्भावना एवं मौके की कार्यवाही भी शेष नहीं होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादी, सहपरिवादी डिटेनशुदा आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि., सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के अपने–अपने प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। समय करीब 12.40 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादी, सहपरिवादी डिटेनशुदा आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि., सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुंच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय करीब 12.50 पीएम पर दिनांक 07–02–23 को समय करीब 06.40 पीएम पर पुलिस चौकी देवल परिसर में परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी।

मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 03.30 पीएम पर दिनांक 10–02–2023 को समय करीब 09.55 एएम पर परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के मध्य पुलिस चौकी देवल पर आमने सामने हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 04.00 पीएम पर दिनांक 07–02–2023 को सायं करीब 6.40 पीएम पर परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के मध्य पुलिस चौकी देवल के परिसर में आमने सामने हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया एवं दिनांक 10–02–2023 को सायं करीब 09.55 एएम पर परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के मध्य पुलिस चौकी देवल के परिसर में आमने सामने हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर जिसमें दोनों वार्ताएँ रिकार्ड की गई हैं। जिसमें प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड को टेप रिकॉर्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 04.20 पीएम पर आरोपी श्री ईश्वर लाल खराडी पुत्र श्री तेजाजी जाति मीणा, उम्र 49 वर्ष, निवासी सारोली तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल हैड कानि. 478, पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित होने से श्री ईश्वर लाल हैड कानि. को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 04.30 पीएम पर आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के पुलिस लाईन डूंगरपुर में स्थित सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी ली जाना वांछित होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ता श्री अख्तर खॉ हैड कानि., श्री बाबूलाल कानि. एवं श्री महेन्द्र सिंह कानि. मय आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के ब्यूरो चौकी डूंगरपुर से सरकारी वाहन द्वारा सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी हेतु रवाना हुआ। समय करीब 05.30 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ता श्री अख्तर खॉ हैड कानि., श्री बाबूलाल कानि. एवं श्री महेन्द्र सिंह कानि. मय आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. के सरकारी वाहन से बाद खाना तलाशी ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर उपस्थित हुआ। फर्द खानातलाशी शामिल पत्रावली की गयी। समय करीब 05.40 पीएम पर आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु क्रमशः पत्रांक 123, 124 दिनांक 10–02–2023 दिया गया। आरोपी ने उक्त पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय में पृथक से पेश करूगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 05.45 पीएम पर पूर्व में पाबंदशुदा श्री गजराज सिंह हैड कानि. पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय होकर पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 17/2023 के पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की। जिसका अवलोकन कर प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गयी। समय करीब 06.10 पीएम पर सम्पूण कार्यवाही में मालखाना आर्टिकल, सिलचिटशुदा रिश्वती राशि इत्यादि को मालखाना प्रभारी श्री वीरविक्रम सिंह कानि. को दुरूस्त हालात में संभलाये गये। परिवादी, सहपरिवादी एवं दोनो गवाहान को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से आरोपी का मेडिकल कराया जाकर सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर में जमा करवाया गया। आईन्दा जरिये जैसी रिमाण्ड माननीय विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या–1, उदयपुर में पेश किया जावेगा।

इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया है कि श्री ईश्वर लाल खराडी पिता श्री तेजाजी जाति मीणा, उम्र 49 वर्ष, निवासी सारोली, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर पुलिस थाना बावलवाडा हाल हैड कानि. 478, पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री थावरचंद से उसके भतिजों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 17/2023 में कार्यवाही हल्की करना एवं दो मोटर साईकिलों में से एक मोटर साईकिल जप्त करने तथा अन्य को आरोपी नहीं बनाने की एवज पूर्व में परिवादी के बडे भाई से 25,000 रूपये की मांग कर 21,000 रूपये लेना तय कर 11,000 रूपये लेने एवं बाकी के 10,000 रूपये परिवादी से मांगने की रिपोर्ट पर नियमानुसार मांग सत्यापन कराया गया। मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 6000 रूपये लेना तय हुआ। जिस पर

दिनांक 10.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री ईश्वर लाल हैड कानि. द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि 6000 रूपये मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है, जो कि जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री ईश्वर लाल खराडी पिता श्री तेजाजी जाति मीणा, उम्र 49 वर्ष, निवासी सारोली, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर पुलिस थाना बावलवाडा हाल हैड कानि. 478, पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(हेरम्ब जोशी)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
डूंगरपुर

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हेरम्ब जोशी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री ईश्वर लाल खराडी पिता श्री तेजाजी, हैड कानि. 478, पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 35/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 271-74 दिनांक 11.2.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर।
4. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर।

11.2.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।